

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की  
धारा- 4(1)ख(7)

मैनुअल संख्या - 7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अध्याय – 2 की  
धारा – 4(1) ख (VII)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में इस प्रकार की कोई भी  
व्यवस्था विद्यमान नहीं है।